



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 2336

बिलासपुर, दिनांक 20-10-2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू-प्रबंध)
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Registration of forest land diversion proposal for 15.40 ha forest land in favour of Hardibazar Bypass Length 11.76 Km. (via Ratija, Renki, Bamhnikona, Saraisingar) CC road Project. **Registration No. FP/CG/ROAD/40258/2019**

संदर्भ :- आपका पत्र क्र. भू-प्रबंध/विविध/एल.एम.-115-786/561 रायपुर दिनांक 29.02.2020
वनमण्डलाधिकारी कटघोरा का पत्र क्रमांक/तक./2189 दिनांक 14.10.2020

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. सड़क निर्माण के 15.40 हे. वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत विवरण निम्नानुसार है -

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ - 01) - आवेदनकर्ता छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा जिला कोरबा द्वारा अंतर्गत हरदीबाजार बायपास मार्ग निर्माण लंबाई 11.76 कि.मी. (व्हाया रतिजा, रैंकी, बम्हनीकोना, सरईसिंगार) सी.सी. मार्ग निर्माण हेतु रकबा 15.40 हे. वन एवं राजस्व वनभूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत फार्म I भाग 1 द्वारा मांग रखी गई है।

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 02 से 03) - वनमंडलाधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/ROAD/40258/2019** आबंटित होने का उल्लेख किया गया है जिसकी पुष्टि प्रस्ताव पृष्ठ 9 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के अदेशानुसार पंजीयन शुल्क जमा कराये गये।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव 04 से 08) - 15.40 हे. वनभूमि एवं 11.27 हे. राजस्व वनभूमि कुल 26.67 हे. क्षेत्र का विवरण संलग्न है।

बि.क्र. 4. गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 09 से 12) - आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 5. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 13 से 14) - प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 15 से 26) - वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप संलग्न है। इण्डेक्स मैप के साथ एफ.एम.आई. एस द्वारा जारी किया वन आवरण मानचित्र (1:15000), वन सनिधि मानचित्र (1:15000) एवं वन प्रकार मानचित्र (1:15000) संलग्न हैं।

बि.क्र. 7. प्रपत्र -4 में प्रस्ताव पृष्ठ 53 से 55) – प्रपत्र- 4 में परियोजना की कुल लागत रु. 89.17 करोड़ है। वनमंडलाधिकारियों ने प्रस्ताव को स्वीकृति योग्य माना है तथा उल्लेख किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 56 से 58) – यूजर एजेंसी द्वारा परियोजना का विस्तृत टीप दिया गया है। Executive Summry संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 59) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 60) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 61) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र No J-11015/200/2008-IA.II(M) दिनांक 31.03.11 संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 62 से 72) – 1523 नग विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनकी सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 13. कास्ट / बेलिफिट ऐनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 73 से 77) – कास्ट बेनिफिट ऐनालिसिस संलग्न है।

बि.क्र. 14. चयनित गैर वनक्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा कि नकल मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 78) – आवश्यकता नहीं है। दुगने बिगड़े वन में प्रस्तावित है।

बि.क्र. 15. गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 79 से 88) – आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 27 से 49बी) – कटघोरा वनमंडल अंतर्गत परिक्षेत्र पाली में नारंगी वनखण्ड कसईपाली OA 598 रकबा 30.80 हे. प्रस्तावित है। CA योजना संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 98) – वनमंडलाधिकारी कटघोरा द्वारा हस्ताक्षरित कुल 30.80 हे. वृक्षारोपण साईट का वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 99) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 100) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिनियम के उल्लंघन के अंतर्गत अधिकारियों के विवरण निरंक है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 101)– वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 21. वैकल्पित वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 102) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 103) –कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 104) – रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IVM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 106) –माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 106) –विस्थापन, पुर्नवास एवं पुर्नबसाहट योजना की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

- बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 107 से 115) – वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) संलग्न है।
- ब.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण – पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 116) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक महत्व स्थल नहीं है जिससे संबंधित वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 117 से 140) – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्ताव हेतु चयनित वनभूमि के समीप स्थित ग्राम एवं ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 29. जिले की कुल वनभूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 141 से 142) – प्रस्ताव में जिले की कुल वनभूमि 4187.375 वर्ग कि.मी. का विवरण संलग्न है।
- बि.क्र. 30. – 1980 अंतर्गत जिले की स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 143) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत स्वीकृत 48 प्रकरणों में कुल 4863.491 हे. वन भूमि प्रभावित है।
- बि.क्र. 31. – 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 144) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी का केवल 01 प्रकरण स्वीकृत है जिसका रकबा 382.344 हे. है।
- बि.क्र. 32 प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी प्रस्ताव पृष्ठ 145) – आवेदित वनभूमि 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शों में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हाकन (केवल खनन प्रकरण में प्रस्ताव पृष्ठ 146) आवश्यकता नहीं है।
- बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 147 से 152) – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर कोरबा द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र क्र. 2195 दिनांक 23.10.2019 तथा अनुविभागीय स्तरीय समिति न का कार्यवाही विवरण एवं संबंधित ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण संलग्न है।
- बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 153) – प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि के कुछ भाग संरक्षित वनभूमि में सम्मिलित होने के कारण निम्नांकित भूमि का संशोधित अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर कोरबा की अनापत्ति संलग्न की गई है।
- बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र प्रस्ताव पृष्ठ 154 से 157) – आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 37. Clearance under FC Act, 1980 Deposition of funds with the AD-hoc CAMPA :
Remittances of precede 2 nd stage Clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 158) – आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।
- बि.क्र. 38. A detailed note on soil productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 159) – प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पहुंच मार्ग निर्माण के लिये है अतः मृदा, वृक्षों/वनस्पति हेतु पृथक से योजना की आवश्यकता नहीं है। आवेदक विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 39. परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 160) –परियोजना विस्तार में किसी भी प्रकार की भूमि में किसी भी प्रकार की निर्माण कार्य नहीं किया गया है। आवेदक विभाग का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 40. Division of large area (more then 500 ha)of forest land for mining and other non-forestry purposes under the forest (conservation)Act 1980 Stipulation of additipna condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (प्रस्ताव पृष्ठ 161) – आवेदित क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. पंजयीन कमांक – पंजयीन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 162 से 165) – आवेदक से पंजीयन शुल्क कोरबा क्षेत्र डी.डी.क्र. 835879 दिनांक 29.04.2019 को जमा किया गया।

बि.क्र. 42. वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ –166) – प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पहुंच मार्ग निर्माण के लिये है अतः वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत की आवश्यकता नहीं है। आवेदक विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 43. विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा ग्रीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ – 167)– प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है। आवेदक विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. प्रस्ताव में अन्य (Misc) जानकारी का विवरण (प्रस्ताव 168 से 172) –

संलग्न – 1. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव 04 प्रतियों में।

2. डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट की प्रति।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पू. क्रं./तक../2020/ 2337.
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 20-10-2020

1. वनमण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना कार्य क्रियान्वयन ईकाई, कोरबा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।


मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई छ.ग. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण कोरबा, जिला कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल के अंतर्गत हरदीबाजार बाईपास मार्ग निर्माण के लिए 15.400 हे. वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदित नारंगी वनभूमि 15.400 हे. का निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदित वनक्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों के संवर्धन हेतु प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

अनुशंसित


(अनिल सोनी) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर